

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-: वादी:- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. चौथाराम दतक पुत्र रामपाल  
जी जाति बावरी निवासी  
कांवलिया खुर्द तहसील  
जैतारण जिला ब्यावर  
राजस्थान

1. रामपाल पुत्र चुनाराम जाति बावरी  
निवासी कांवलिया खुर्द तहसील  
जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान  
2. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला  
ब्यावर राजस्थान

मु0न0 :रा0वा0स0- 254/2019 (149/2017)

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री  
चुतराराम भाठी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता,  
प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण  
अंतर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं  
होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल  
याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.11.2024  
को जारी किया गया।

मोहर



कलक्टर  
जैतारण (फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	2.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	2.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	7.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए  
दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।